

Copy
2018

आदेश

तिथि
Apr 5 2018आदेश पर की
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा नवाडीह थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
223	1617	0 एकड़, 6.6 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
DINANATH PARSAD	पिता	LATE SITARAM SAH

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 645 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
श्री दीना नाथ प्र.	पिता	स्व. सीता राम प्र.

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुसंसा किया है।

राजस्व कर्मचारी एबम अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन स्वीकृत अनुसंसा के साथ प्राप्त अत दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अतः वार्षिक लगान 480 रुपये अलावे सेस के साथ

नामान्तरण स्वीकृत शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। ह0 कर्मचारी पजी II में आवश्यक किया जाता है। संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें।

Digitally Signed by : PRAKASH KUMAR
अंचलाधिकारी धनबाद

1. राजीव कुमार दास
2. नीतु कुमारी दास